क्रम-संख्या–125

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 मई, 2018

ज्येष्ठ 4, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1109/79-वि-1–18-1(क) 6-2017

लखनऊ, 25 मई, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पर दिनांक 03 मई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2017

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश पर है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 4 ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4–ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"(1) ऐसे दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का प्रत्येक स्वामी ऐसे कारवार के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर अथवा उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने के छः माह के भीतर, जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए निरीक्षक को आवेदन करेगा और यदि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो, तो उस दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान का रजिस्ट्रीकरण यथाविहित रीति से आवेदन प्रस्तुत किए जाने के दिनांक से एक दिन से भीतर प्रदान किया जायेगा।

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या स्वीकृति करने के लिए आपत्ति करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो रजिस्ट्रीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय से पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(1–क) आवेदक अपना आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन–पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगाः

परन्तु यह है कि यदि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण, अकृत एवं शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगीः

परन्तु यह और कि स्वीकृत किये गये रजिस्ट्रीकरण पर विचार, दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा।"

धारा 4 ग का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 4 ग, उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित की जायेगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

"(2) रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, नियमानुसार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान के नवीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् एक दिन के भीतर किया जायेगाः

परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्वीकृत करने में विफल रहता है या स्वीकृत करने से अस्वीकार करता है या नवीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए आपत्ति प्रकट करता है या संशोधन आदेश पारित करता है तो नवीकरण, इस उपधारा के अधीन उल्लिखित समय के पश्चात् स्वीकृत किया गया समझा जायेगा।

(3) आवेदक अपना आवेदन–पत्र आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय सहित विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामले में, यदि आवेदन–पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो, वेबपोर्टल द्वारा स्वतः नवीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा नवीकरण प्रमाण–पत्र अपने ई–मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगाः

परन्तु यह है कि, यदि प्रमाण–पत्र, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा प्रमाण–पत्र, अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

धारा 6 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 6 में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द "पचास" के स्थान पर शब्द "एक सौ पच्चीस" रख दिये जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"22— यदि किसी नियोजक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु सदन, महिला प्रसाधन, उनकी सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण तथा दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान से उनके निवास तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह स्त्री कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उसे रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 6:00 बजे के मध्य कार्य करने दे सकता है।"

धारा 25 का संशोधन

6— मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"25— गर्भावस्था की दशा में कोई स्त्री कर्मचारी, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन प्रसूति प्रसुविधा और प्रसूति अवकाश के लिए हकदार होगी।"

नई धारा 28क का बढ़ाया जाना

7— मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:—

"28—क(1) प्रत्येक नियोजक को दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में नियोजित समस्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक उपयुक्त स्थलों पर स्वास्थ्यप्रद पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति का उपबंध करने और उसे अनुरक्षित करने के लिये प्रभावी व्यवस्था करना होगा।

कल्याणकारी उपबन्ध

(2) प्रत्येक नियोक्ता को पुरूष और महिला के लिए पृथक—पृथक शौचालय और मूत्रालय की यथाविहित रूप में व्यवस्था करना होगा जो इस प्रकार से सुविधाजनक रूप में अवस्थित होंगे, जो दुकान या अधिष्ठान में नियोजित कर्मकारों की पहुँच में हों:

परन्तु उस दशा में, जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या अधिष्ठान में ऐसा करना संभव न हो, तो कतिपय नियोक्ता सामूहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

(3) ऐसी प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें बीस या उससे अधिक स्त्री कर्मकार सामान्यतया नियोजित हों, ऐसी स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु सदन के रूप में उपयुक्त कक्ष उपलब्ध कराये जाएंगे और उनका अनुरक्षण किया जायेगा:

परन्तु यदि दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु सदन उपलब्ध कराने का विनिश्चय करता है तो उसकी अनुमति निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जायेगी।

(4) प्रत्येक नियोक्ता को कार्यस्थल पर यथाविहित रूप में प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी।

(5) राज्य सरकार नियोक्ता से ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में, जिसमें 250 से अन्यून कर्मकार नियोजित हों या सामान्यतया नियोजित हों, उन कर्मकारों के उपयोग के लिए कैन्टीन की व्यवस्था करने और उसे अनुरक्षित करने की अपेक्षा करेगी:

परन्तु यदि कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान समूह सामूहिक कैंटीन की व्यवस्था करने का विनिश्चय करता है तो उसे निरीक्षक द्वारा किसी आदेश के माध्यम से उस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।

(6) प्रत्येक नियोक्ता को कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसमें स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, संवातन और अग्नि सुरक्षा सम्मिलित है) से सम्बंधित ऐसे समस्त उपाय करना होगा, जो आवश्यक हों।"

उद्देश्य और कारण

दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्य और नियोजन की शर्तों के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की भी व्यवस्था है।

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा परिणामी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के कारण अतिकाल से सम्बंधित प्राविधानों को शिथिल करने, रात्रि में महिलाओं के नियोजन की अनुज्ञा देने तथा रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की मांग बढ़ती रही है। नियोक्ता संघों तथा व्यापार संघों से सम्यक विचार–विमर्श और परामर्श के पश्चात् यह विनिश्चिय किया गया है कि अतिकाल के घण्टे बढ़ाये जाने और कतिपय शर्तों के अधीन रात्रि में महिला कर्मकारों के नियोजन की अनुज्ञा देने के लिए रजिस्ट्रीकरण तथा नवीकरण हेतु एक दिन की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1109(2)/LXXIX-V-1–18-1(ka) 6-2017
Dated Lucknow, May 25, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 3, 2018.

THE UTTAR PRADESH DOOKAN AUR VANIJYA ADHISHTHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

(U.P. ACT NO. 29 OF 2018)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962.

IT IS HEREBY *enacted* in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

(1) This Act may be called the Uttar Pradhesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 4-B of UP Act no. 26 of 1962

2. In section 4-B of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhisthan Adhiniyam, 1962, hereinafter referred to as the Principal Act, *for* sub-section(1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) Every owner of the shop or commercial establishment where the employees are working, within six months of commencement of such business or within six months of the commencement of the Uttar Pradesh Dookan Aur Vanijya Adhishthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976, whichever is later, apply to the Inspector for registration of his shop or commercial establishment and if their application is complete in all respect, the registration of shop or commercial establishment shall be granted within one day from the date of submission of application, in such manner as may be prescribed:

Provided that if the Registering Officer fails to grant or refuse to grant or object to grant or pass an order of amendment, the registration shall be deemed to

be granted, after the time mentioned under this sub-section.

(1-A) The applicant may submit his application on departmental web-portal along with necessary documents and payment of fees. In such case, if the application is complete and applicant is eligible automatic registration shall be granted by web-portal and registration certificate shall be sent to applicant on his e-mail:

Provided that if the registration is obtained by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such registration shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against the applicant:

Provided further that the registration granted shall not be considered in relation to ownership of shop or commercial establishment.

Amendment of section 4-C

3. In section 4-C of the principal Act shall be renumbered as sub-section(1) thereof and *after* sub-section(1) as so renumbered the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(2) The registration shall be renewed within one day after the date of submission of application for renewal of shop or commercial establishment as per rules:

Provided that if the Registering Officer fails to grant or refuse to grant or object to grant renewal or pass an order of amendment, the renewal shall be deemed to be granted after the time mentioned under this sub-section.

(3) The applicant may submit his application on departmental web-portal along with necessary documents and payment of fee. In such case if the application is complete and applicant is eligible, the renewal shall be automatically granted by web-portal and renewal certificate shall be sent to applicant on his e-mail:

Provided that if the certificate is obtained by misrepresentation or concealment of facts or on the basis of forged documents, such certificate shall be deemed null and void and may be cancelled by Registering Officer and legal action may be taken against the applicant."

Amendment of section 6

4. In section 6 of the principal Act, in the second proviso *for* the word "fifty" the words "one hundred and twenty five" shall be *substituted*.

Amendment of section 22

5. *For* section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:–

"22. Any employer if satisfied that the provision of shelter, rest room, night crèche, ladies' toilet, adequate protection of their safety, and their transportation from the shop or commercial establishment to their residence exists in such shop or commercial establishment, he may, after obtaining the consent of the woman worker, allow her to work between 9 p.m. and 6 a.m.."

Amendment of section 25

6. *For* Section 25 of the principal Act, following paragraph shall be *substituted*, namely:-

"25. In case of pregnancy a woman employee shall be entitled to maternity benefit and maternity leave under. The Maternity Benefit Act, 1961"

Insertion of new section 28-A

7. *After* section 28 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:-

"28-A(1) Every employer shall make effective arrangements to provide and maintain at suitable points convenient for all persons employed in the shop or commercial establishment, sufficient supply of wholesome drinking water.

Welfare Provisions

(2) Every employer shall provide for male and female separate latrine and urinal as may be prescribed which shall be so conveniently situated as may be accessible to the workers employed in the shop or establishment.

Provided that certain employers may provide common facilities, in case it is not possible in a shop or establishment due to constraint of space or otherwise.

(3) In every shop or commercial establishment wherein twenty or more woman workers are ordinarily employed, there shall be provided and maintained rooms as crèche for the use of children of such woman workers:

Provided that if a group of shops or commercial establishments, so decide to provide a common crèche within a radius of one kilometer, then, the same shall be permitted by the Inspector, by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

(4) Every employer shall provide at the place of work such first-aid facilities as may be prescribed.

(5) The State Government shall require the employer to provide and maintain in the shop or commercial establishment, wherein not less than two hundred and fifty workers are employed or ordinarily employed to maintain a canteen for the use of its workers:

Provided that if a group of shops or commercial establishments, so decide to provide a common canteen, then the same shall be permitted by the Inspector by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.

(6) Every employer shall take such measures relating to the health and safety (including cleanliness, lighting, ventilation and protection against fire) of the workers which are necessary."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1962 has been enacted to provide for the regulation of conditions of work and employment shops and commercial establishments. There is also provision for compulsory registration of shops and commercial establishments under the said Act.

Due to globalization, liberalization and consequent competitive atmosphere there has been a growing demand for relaxing the provisions relating to overtime, permitting employment of women during night and fixing a definite timeline for registration and renewal. After due consideration and consultation with associations of employers and trade unions, it has been decided to amend the said Act to fix time limit of one day for registration and renewal to enhance hours of overtime and to permit the employment of women workers during night under certain conditions.

The Uttar Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Bill, 2017 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 89 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(228)–599 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 11 सा0 विधायी–2018–(229)–300 प्रतियां–(क0/टी0/ऑफसेट)।